For immediate release

प्रेस विज्ञप्ति

एक देश एक खाद्य विधि : साकार होती कल्पना

नई दिल्ली, 02, नवम्बर 2017: खाद्य पर पहले मेगा शो की शाम को, विश्व खाद्य भारत का आयोजन इस सप्ताह भारत में किया जा रहा है, देश के शीर्षस्थ खाद्य रेग्युलेटर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण एफ.एस.एस.ए.आई ने खाद्य कारोबार के लिए एक नए शक्तिशाली साधन, फूड रेग्युलेटरी पोर्टल की शुरुआत की है। घरेलू प्रचालनों और खाद्य आयात दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खाद्य कारोबार के लिए एक ही मंच के रूप में तैयार किया गया यह पोर्टल देश में खाद्य कानूनों के प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। इस पोर्टल के निर्माण के पीछे *एक देश एक खाद्य कानून की सोच* है। यह व्यवसाय सुगमता के क्षेत्र में विश्व बैंक द्वारा भारत को 130वें पायदान से 100वें पायदान पर लाने के समय पर किया गया है।

कारोबार के वातवरण में एकरूपता और पूर्वानुमान सुनिश्चित करने के लिए देश में 2006 में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के रूप में एक राष्ट्रव्यापी समान कानून बनाया गया था। जहाँ इस कानून का लक्ष्य सम्पूर्ण देश के खाद्य कानूनों को एक रूप देना था, राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में इसका कार्यान्वयन विरासत संबंधी मामलों के कारण समान रूप से नहीं हो सका, जिससे व्यावसायिक अनिश्चितता देखी गई। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर पर भी विभिन्न मंत्रालयों/एजेंसियों द्वारा कुछ विशिष्ट मुद्दों जैसे कानूनी प्रावधानों, सीमा-शुल्क, पौध और पशु संगरोध, भारतीय मानक ब्यूरो (भा.मा.ब्यूरो), एग्मार्क आदि पर कार्रवाई की जा रही है। आज आरंभ किया गया फूड रेग्युलेटरी पोर्टल एक बड़ा कदम है, क्योंकि इससे राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में विधि के एक समान क्रियान्वयन के लिए एक सशक्त वातावरण और केंद्रीय एजेंसियों के

मध्य सामंजस्य का निर्माण करेगा, जिससे पारदर्शी और व्यवसाय में सुगमता का वातावरण बनेगा।

फूड रेग्युलेटरी पोर्टल खाद्य कारोबार के लिए संपूर्ण सेवा देने वाला कारोबार हितैषी पोर्टल है, जिसमें छह मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है खाद्य मानकों; सतत प्रवर्तन; बाधामुक्त खाद्य आयात; विश्वसनीय खाद्य परीक्षण; संहिताबद्ध खाद्य सुरक्षा रीतियों; और प्रशिक्षण तथा क्षमता-निर्माण। यह कारोबार आरंभ करना आसान बनाकर; अनुपालन का कम बोझ डालकर और व्यापार को सुविधाजनक बनाकर इस क्षेत्र में देश भर के खाद्य संबंधी मुद्दों का समाधान करके खाद्य परिदृश्य में परिवर्तनकारी सिद्ध होगा।

इस पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन लाइसेंसिंग और पंजीकरण प्लेटफार्म (एफएलआरएस) के माध्यम से आयात प्रवेश को आसान बनाया गया है। एफ.एल.आर.एस के प्रत्येक चरण के लिए समय-सीमा निर्धारित करके और भी आसान बनाया गया है। खाद्य उत्पाद मानक भी चिंता के मुख्य मुद्दे रहे हैं, विशेषकर नया उत्पाद लाने वाले निवेशकों के लिए। इस संबंध में पहल करते हुए एफएसएसएआई ने प्रारंभिक तौर पर भारत के खाद्य मानकों को विश्व स्तर पर कोडेक्स मानकों से सुमेलित किया है। मानकों का सरलीकरण करने के लिए, भारतीय खाद्य मानक -)रित अभिगमत्वआईएफएसप्रणाली (एक्यू. का अनुक्रियाशील सूचना प्रोद्योगिकी प्लेटफॉर्म पर निर्माण किया गया है, जहां कोई भी व्यक्ति हजारों खाद्य मानकों, सहयोज्यों के लाखों प्रावधानों, विषाक्त पदार्थ और संदूषित पदार्थों के लिए अवशेषों की अधिकतम सीमा के बारे में एक बटन दबाकर जानकारी प्राप्त कर सकता है।

उत्पाद अनुमोदन अनुभाग के द्वारा उत्पाद अनुमोदन के पुराने तरीकों को समाप्त कर दिया गया है। खाद्य व्यापारकर्ता अब अपने स्वामित्व व्यंजनों को अपनी रेसपी के अनुसार मानक सामग्री और संबंधित सहयोज्य का उपयोग कर विकसित कर सकते हैं।

नये खाद्य उत्पादों और सामग्रियों को उनसे जुड़े जोखिम के मूल्याकंन के बाद निर्धारित समय सीमा में अनुमति दी जाएगी। अंत में, उद्योगों के विशेषज्ञों का समूह निरंतर मानकों की समीक्षा करने, समग्र खाद्य मानकों को अधिक मजबूत बनाने, सार्वजनिक स्वास्थ्य उद्देश्यों को बढ़ावा देने के साथ ही खाद्य उद्योग को भारत में नए उत्पादों को शुरु करने की अनुमति देता है। यह सभी पहल खाद्य विनियामक पोर्टल पर उपलब्ध हैं ताकि पारदर्शिता बनाई जा सके एवं अवरोधों को कम से कम किया जा सके।

खाद्य व्यापारों के लिए एक प्रमुख चिन्ता का कारण कानूनी प्रावधानों का प्रवर्तन एवं अनुपालना से संबंधित होता है। हालांकि, फोकस स्वअनुपालन पर है-, लेकिन यह सोच 'विश्वास करो परन्तु सत्यापित भी करो' पर आधारित होगा। खाद्य व्यापारों पर अनुपालनाओं का बोझ कम करने के लिए, खाद्य विनियामक पोर्टल सम्पूर्ण राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में अनुपालना में एकरुपता पर फोकस करता है। इस संबंध में दो आयामी दृष्टिकोण को अपनाया गया है जिसका कि दूरगामी प्रभाव होगा। पहला, राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के लिए एक पुस्तिका का निर्माण किया गया है। इस में उन प्रक्रियाओं एवं प्रथाओं के बारे में बताया गया है जिनका पालन कार्मिकों के द्वारा किया जाना चाहिए और उनकी निर्माण क्षमता, नैतिकता एवं सोच को बदलने के लिए र्ण दसूत्र दिये गये हैं। सम्पू 8ेश में विनियामक कार्मिकों के लिए एक व्यवस्थित प्रशिक्षण भी शुरु किया गया है।

दूसरा, डिजिटल और स्मार्ट प्रौद्योगिकियों के उपयोग के कारण 'कम में अधिक' परिणाम प्राप्त हो रहे हैं और यह निरीक्षण और नमूनाकरण में मध्यस्थता और तदर्थवाद को समाप्त करता है। नियमित निरिक्षण एवं नमूनाकरण के माध्यम से खाद्य सुरक्षा अनुपालन)(फोसकोरिस)***FoSCoRIS***को औपचारिक रुप से आज शुरु किया गया (। अब पुरानी निरिक्षण पद्दति की जगह डिजिटल निरिक्षण प्रणाली ले चुकी है। इस प्रणाली में एक साधारण मोबाईल उपकरण का उपयोग डैशबोर्ड के साथ किया जाता है जिस से कि जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर वास्तविक समय आधार पर निगरानी की जा सकती है। एकरुपता के लिए विभिन्न प्रकार के खाद्य व्यापारों के निरिक्षण के लिए मानक मैट्रिक्सों का निर्माण किया गया है। फोसकोरिस)FoSCoRIS) इस प्रकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्य व्यवसायों के लिए एकसमान अनुभव सुनिश्चित करेगा, जिससे विनियामक वातावरण में उनका आत्मविश्वास निर्माण किया जा सके।

खाद्य व्यवसायों के लिए विश्वसनीय और कुशल खाद्य परीक्षण के लिए, एकल प्रौद्योगिकी मंच पर सभी खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के एक राष्ट्रव्यापी, भारतीय खाद्य प्रयोगशाला नेटवर्क क (लनेटइन्फो)ा भी उद्घाटन किया गया है। यह खाद्य परीक्षणों को अधिक इच्छित मानकीकृत करने में सहायक होगा, जो कि 'एक खाद्य उत्पाद, मानकों का एक निर्धारित समूह और एक मानक, एक जांच विधि' पर आधारित होगा। व्यापार को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं जिसमें सीमा शुल्क प्राधिकारियों से पूर्णत :एकीकृत एकल निकासी खिडकी प्रणाली एंव जोखिम आधारित निरीक्षण प्रणाली को अपनाना शामिल है। अवरोध रहित

आयात को सुनिश्चित करने के लिए खाद्य आयात के लिए एक पुस्तिका भी जारी की गई है।

हालांकि, एफएसएसएआई खाद्य के लिए मुख्य नियामक निकाय है, फिर भी छ अन्य : के लिएऐजेन्सियों को भी विशेष उद्देश्योंइस कार्य में शामिल किया गया है। सभी खाद्य संबंधित व्यापारिक अनुपालनाओं को सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य विनियामक पोर्टल में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र जैसे कि कानूनी प्रावधानों, सीमा शुल्क, पौधे और पशु संगरोध, भारतीय मानक ब्यूरो और एगमार्क जैसी अन्य राष्ट्र (बीआईएस)ीय एजेंसियों से संबंधित जानकारियों और लिंकों को उपलब्ध करवाया गया है। विभिन्न ऐजेन्सियों के मध्य समन्वय और सहयोग और एकीकृत शिकायत निवारण के लिए एक संस्थागत तंत्र को भी विकसित किया जा रहा है एवं जल्द ही इसे राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। इस अवसर पर इण्डिया एचएसीसीपी एंव इण्डिया जीएचपी का भी भारतीय गुणवत्ता परिषद के द्वारा शुभारम्भ किया गया।

इस अवसर पर एफएसएसएआई के अध्यक्ष श्री आशीष बहुगुणा ने कहा कि “खाद्य विनियामक पोर्टल खाद्य व्यवसायों के लिए एक अनोखी और व्यापक पूर्ण सेवाप्रदाता मंच है, जो देश में खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में लंबा रास्ता तय करेगा”. अमिताभ कान्त, सीईओ, नीति आयोग ने पोर्टल का शुभारम्भ किया और एफएसएसएआई के प्रयासों की सराहना करते हुए इस पोर्टल को “भारत के अब तक के विनियामक सुधारों में मील का पत्थर” की संज्ञा प्रदान की. उन्होने आगे कहा कि "एफएसएसएआई के निरंतर और पारदर्शिता और खाद्य विनियामक वातावरण में व्यापार करने में आसानी के लिए किये गये प्रयास सभी हितधारकों के आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे।"

पद्मश्री पुरुष्कार प्राप्त शैफ, श्री संजीव कपूर ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि खाद्य लोगों की यात्रा का दूसरा सबसे बडा कारण है। खाद्य पदार्थों में अपनी समृद्ध विविधता के साथ भारत एक बहुत ही मज़ेदार पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र है, जिससे खाद्य सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। खाद्य एक आम भाषा है जो कि सभी साझेदारों को सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य सुनिश्चित करने के लिए एक मंच पर ला सकता है। एफएसएसएआई की तारिफ की और कहा कि सरकार की ओर से इस तरह के व्यापार को सुगम बनाने के प्रयासों से खाद्य व्यापारियों में भारत में निवेश करने के लिए आत्मविश्वास का निर्माण होगा। एफएसएसएआई ने बहुत ही

व्यवस्थित तरीके से ऐसा करने में पिक्षले कई वर्षों में सराहनीय काम किया है। मैं उनके प्रयासों का समर्थन करने में अपना समय देने पर खुश हूं।"

इलैक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रोद्योगिकि, श्री अजय स्वाने ने एफएसएसएआई के इस कदम को डिजिटल तकनीक का अनुपालन में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बताया एवं उनके विभाग के द्वारा हर संभव सहायता प्रदान करने का भरोसा दिलाया। श्री जेमीणा.पी., सचिव, खाद्य प्रसंस्करण ने इस कदम से एफएसएसएआई को समय पर विदेशियों के साथ साथ घरेलू निवेशकर्ताओं एवं खाद्य व्यापारकर्ताओं में विश्वास निर्माण करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफएसएसएआई श्री पवन अग्रवाल ने इसे देश में खाद्य " सुरक्षा कानूनों के विकास में ऐतिहासिक और खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006में निहित जीवन्त भावनाके अनुकूल बताया। खाद्य सुरक्षा अधिनियम ", 2006को वर्तमान कानूनों को 9एकीकृत कर बनाया गया है और यह एक देश, एक खाद्य कानून की भावना पर आधारित है। वर्ष 11 बाद, आज शुरू किए गए खाद्य विनियामक पोर्टल इस कानून के एकसमान कार्यान्वयन के लिए एक ठोस नींव रखता है, और यह इतिहास में एक यादगार मील के पत्थर के रूप में जाना जाएगा।

अधिक जानकारी के लिए कृपया सम्पर्क करें:
रुचिका शर्मा
भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
मो: *+91-9999431104*
ई: *sharmaruchika.21@gmail.com*